18/2/26

वकील वादी उप॰ बहस सुनी गई। वाद वादी खारिज किया जाता है। फैसला डिक्री अलग से शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।

फैसला सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GAMS
2023/146

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:21:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– बी.आर.मीणा आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 34/2023 GCMS:-2023/146

अनवान मुकदमा–

रूघाराम पुत्र श्री रेवन्ताराम जाति नाई निवासी ग्राम ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–––वादी

बनाम

1. रेवन्ताराम पुत्र श्री भागीरथ जाति नाई निवासी ग्राम ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमति हंसीदेवी पत्नी श्री रेवन्ताराम जाति नाई निवासी ग्राम ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. श्रवण कुमार पुत्र श्री रेवन्ताराम जाति नाई निवासी ग्राम ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. श्रीमान प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ए.डी.बी. शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. श्रीमान उप–पंजीयक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–––प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा– 88,188,209 आर0टी0ए01955

उपस्थितीः– श्री बी.एल.चाण्डक,संजय चाण्डक अधिवक्तागण वादी

प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही

निर्णय दिंनाकः 18.02.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के द्वारा उक्त अनवान का वाद–पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। दिंनाक 18/12/2023 को नियत पेशी पर प्रतिवादीगण को आवाजें लगवाई गई। बावजुद सूचना प्रतिवादीगण पत्रावली पर उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही होने के कारण प्रकरण में तनकियात कायम नहीं हुई। फलस्वरूप वादी के शपथ–पत्र बयान पत्रावली पर शामिल किए गए एंव पत्रावली पर साक्ष्य एंव सबुत लिए जाने के उपरान्त अंतिम बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादाधीन खाता वर्तमान में वादी के पिता रेवन्ताराम के नाम से ग्राम ऐटा में खसरा नं0 54/6 में 4.048 है0 बारानी कृषि भूमि व खसरा नं0 83/19 में 1.518 है0 बारानी कृषि भूमि कुल 5.566 है0 बारानी कृषि भूमि तथा वादी की माता प्रतिवादी नं0 2 श्रीमति हंसीदेवी पत्नी श्री रेवन्ताराम के नाम से संयुक्त खाता में ग्राम ऐटा के खसरा नं0 54/3 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:21:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

411/54 में स्थित कुल 4.048 है0 बारानी कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त कथनों की प्रमाणिकता वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम ऐटा सम्वत 2068 से बखुबी हो रही है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के माता–पिता को भूमिहीन में आबंटित हुई कृषि भूमि है। जो कि उनकी स्वःअर्जित कृषि भूमि ना होकर संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की समानुपातिक कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि को वादी के संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की संयुक्त आय व मेहनत से तैयार व काबिल काश्त की हुई कृषि भूमि है। जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का समान हक व हित निहित है।

वादी ने अपने वाद–पत्र में स्पष्ट रूप से परिवार की वंशवृक्षावली दर्शित की है। वादी की दोनों बहनें शादीशुदा है। इसलिए वे वादाधीन कृषि भूमि में अपने किसी भी प्रकार के हक व हिस्सा में प्राप्त होने वाली कृषि भूमि को प्राप्त करने की इच्छुक भी नहीं है। इस कारण उक्त वादाधीन कृषि भूमि सार रूप से वादी एंव प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के मध्य ही समाहित हो जाती है। वादी उक्त सयुंक्त परिवार की कृषि भूमि में अपने पिता के नाम से दर्ज कुल 5.566 है0 बारानी कृषि भूमि में से वादी अपने 1/3 हक व हिस्सा की भूमि प्राप्त करने एंव प्रतिवादी नं0 2 के नाम से दर्ज कुल 4.048 है0 बारानी कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि में वादी अपने 1/3 हक व हिस्सा होने की व दखल पाने की घोषणा स्वीकार किए जाने हेतु यह वाद–पत्र पेश किया है। एंव साथ ही प्रतिवादीगण को चिर–स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किए जाने का अनुतोष भी चाहा है। इस प्रकार वादी के उपरोक्त अनुतोष स्वीकार करते हुए वाद वादी स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर मोजुद साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी ने अपनी बहस में कानूनी द्रष्टांत आर.आर.टी. 2015 पार्ट– 2 पृष्ठ संख्या– 1104 पर प्रकाशित निर्णय का भी उल्लेख किया। जिसका हमने ससम्मान अध्ययन भी किया। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वर्तमान में वादी के पिता रेवन्ताराम के नाम से ग्राम ऐटा में खसरा नं0 54/6 में 4.048 है0 बारानी कृषि भूमि व खसरा नं0 83/19 में 1.518 है0 बारानी कृषि भूमि कुल 5.566 है0 बारानी कृषि भूमि में वादी के नाम से 1/3 हिस्सा में 1.855 है0 एंव शेष रेवन्ताराम के नाम से 3.711 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तथा वादी की माता प्रतिवादी नं0 2 श्रीमति हंसीदेवी पत्नी श्री रेवन्ताराम के नाम से संयुक्त खाता में ग्राम ऐटा के खसरा नं0 54/3 व 411/54 में स्थित कुल 4.048 है0 बारानी कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि में वादी के नाम 1/3 हिस्सा में 0.337 है0 बारानी कृषि भूमि एंव शेष 0.675 है0 बारानी कृषि भूमि हंसीदेवी पत्नी रेवन्ताराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 18.02.26 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पर्चा डिक्री अल... से जारी हो।

पत्रावली तरतिब तक... ल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:21:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

[आदेश–21 रूल–6,7 जाब्ता दीवानी]

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– बी.आर.मीणा आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 34/2023

अनवान मुकदमा–

रूघाराम पुत्र श्री रेवन्ताराम जाति नाई निवासी ग्राम ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–––वादी

बनाम

1. रेवन्ताराम पुत्र श्री भागीरथ जाति नाई निवासी ग्राम ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमति हंसीदेवी पत्नी श्री रेवन्ताराम जाति नाई निवासी ग्राम ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. श्रवण कुमार पुत्र श्री रेवन्ताराम जाति नाई निवासी ग्राम ऐटा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. श्रीमान प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ए.डी.बी. शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. श्रीमान उप–पंजीयक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–––प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

यह मुकदमा आज वास्ते इंफिसाल कितई रूबरू सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ व हाजिरी श्री बी.एल. चाण्डक, संजय चाण्डक वकील वादी उपस्थित। वाद वादी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वर्तमान में वादी के पिता रेवन्ताराम के नाम से ग्राम ऐटा में खसरा नं0 54/6 में 4.048 है0 बारानी कृषि भूमि व खसरा नं0 83/19 में 1.518 है0 बारानी कृषि भूमि कुल 5.566 है0 बारानी कृषि भूमि में वादी के नाम से 1/3 हिस्सा में 1.855 है0 एंव शेष रेवन्ताराम के नाम से 3.711 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तथा वादी की माता [illegible] नं0 2 श्रीमति हंसीदेवी पत्नी श्री रेवन्ताराम के नाम से संयुक्त खाता में ग्राम ऐटा के खसरा नं0 54/3 व 411/54 में स्थित कुल 4.048 है0 बारानी कृषि भूमि [illegible] बारानी कृषि भूमि में वादी के नाम 1/3 हिस्सा में 0.337 है0 बारानी कृषि भूमि एंव शेष 0.675 है0 बारानी कृषि भूमि हंसीदेवी पत्नी रेवन्ताराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena

Date: 2026.02.19 17:21:19 IST

Reason: SelfAttested

यह डिक्री न्यायालय की मोहर एंव मेरे हस्ताक्षर से आज दिंनाक 18·02·26 को जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़।